भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 689

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

बंद पड़े हुए एमएसएमई का पुनुरुद्धार

689. **श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**
श्री आनंद भदौरिया:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनका कितना समग्र विकास हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास उन एमएसएमई उद्योगों/एमएसएमई के संबंध में कोई आंकड़े हैं, जो कोविड-19 की अवधि के दौरान और 2016 में नोटबंदी के कारण भी बंद हो गए, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कोविड-19 के प्रभावों पर नियंत्रण के बाद उन्हें पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या सहायता प्रदान की गई और अन्य क्या कदम उठाए गए तथा उनके पुनरुद्धार हेतु किए गए प्रयासों का राज्य-वार और वर्ष-वार क्या परिणाम रहा:

(घ) ऐसे बंद पड़े हुए एमएसएमई की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सका है; और

(ड़) विगत पांच वर्षों के दौरान खोले गए नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ग) : एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 24.11.2024 तक, यूआरपी पर 20,37,73,324 लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले 3,11,33,299 उद्यम पंजीकृत हुए हैं। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ देने के उद्देश्य से, दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) को लॉन्च किया गया। आरंभ से दिनांक 24.11.2024 तक 2,84,91,516 रोजगार वाले कुल 2,39,30,414 सूक्ष्म उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं। सरकार ने एमएसएमई के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपए की सीमा तक कॉलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना (01.04.2023 से प्रभावी) वर्ष 2000-01 में इसकी शुरुआत से लेकर 10.11.2024 तक, 7,61,898.64 करोड़ रुपए की कुल 98,02,086 गारंटी जारी की गई हैं।
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी की सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी, ताकि पात्र एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के संदर्भ में अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता की जा सके। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी। इस योजना में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसके तहत, सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को पात्र उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई ऋण सुविधा के संबंध में 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान की गई। राज्य और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-I में दिए गए हैं। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों, जिनमें से लगभग 98.3 प्रतिशत खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों में थे, को बचाया गया है। कुल मिलाकर संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के लिए ईसीएलजीएस की शुरुआत के बाद से 2.2 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई ऋण खातों में सुधार हुआ है। ईसीएलजीएस के कारण एमएसएमई के बकाया ऋण का लगभग 12 प्रतिशत गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वर्ग में जाने से बच गया।

(ख) और (घ): उद्यमों का कई कारणों जैसे कि कंपनी के मालिक में परिवर्तन, प्रमाण-पत्र की आगे आवश्यकता नहीं होना, दोहरा पंजीकरण और ऐसे अन्य कारणों की वजह से पोर्टल पर पंजीकरण रद्द कर दिया गया या उसे समाप्त कर दिया गया। 2020 और 2022 (01.07.2020 से 31.03.2022 तक) के बीच बंद होने वाले एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। बंद पड़े एमएसएमई, जो पुनर्जीवित नहीं हुए हैं, उनका डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए नए एमएसएमई का वर्ष-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 689, जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईसीएलजीएस एमएसएमई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार डेटा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	वित्त वर्ष -2020-21		वित्त वर्ष-2021-22		वित्त वर्ष-2022-23		जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत राशि (करोड़ रु. में)
		जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई गारंटियों की संख्या	गारंटीकृत राशि (करोड़ रु. में)		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,946	90.91	121	41.97	44	16.15	2,111	149.03
2	आंध्र प्रदेश	199,336	6,088.04	36,815	2,546.48	3,358	720.16	239,509	9,354.68
3	अरुणाचल प्रदेश	1,872	50.36	137	22.58	47	5.82	2,056	78.76
4	असम	521,090	2,230.34	22,224	598.22	1,603	223.71	544,917	3,052.27
5	बिहार	618,456	2,937.42	163,606	883.94	2,578	206.68	784,640	4,028.04
6	चंडीगढ़	5,507	569.97	759	176.69	102	43.28	6,368	789.94
7	छत्तीसगढ	132,008	2,807.20	59,782	1,103.89	1,428	238.17	193,218	4,149.26
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,757	258	324	181	68	41	3,149	480
9	दिल्ली	78,883	8,416.72	13,874	3,319.56	1,196	777.32	93,953	12,513.60
10	गोवा	10,688	560.50	1,007	367.60	388	151.72	12,083	1,079.82
11	गुजरात	274,564	15,458.00	69,554	6,559.59	5,245	2,476.36	349,363	24,493.95
12	हरियाणा	141,646	6,888.09	47,207	2,595.66	2,293	597.49	191,146	10,081.24
13	हिमाचल प्रदेश	42,738	1,137.59	4,945	570.21	1,004	146.80	48,687	1,854.60
14	जम्मू एवं कश्मीर	32,408	924.69	1,524	260.14	519	61.60	34,451	1,246.43
15	झारखंड	234,019	2,181.73	59,203	1,074.21	2,186	197.98	295,408	3,453.92
16	कर्नाटक	447,327	10,629.94	410,159	4,230.53	15,390	1,196.73	872,876	16,057.20
17	केरल	389,874	5,596.08	136,899	2,294.10	4,095	641.50	530,868	8,531.68
18	लद्दाख	790	32.48	32	9.50	4	1.62	826	43.60
19	लक्षद्वीप	368	1.80	3	0.19	3	0.10	374	2.09
20	मध्य प्रदेश	374,280	5,590.18	172,165	1,993.60	2,959	501.00	549,404	8,084.78
21	महाराष्ट्र	834,910	21,495.08	127,087	9,327.02	12,130	3,285.43	974,127	34,107.53
22	मणिपुर	9,361	96.58	250	9.92	47	5.74	9,658	112.24
23	मेघालय	10,737	135.46	477	25.16	63	13.22	11,277	173.84
24	मिजोरम	3,315	43.28	117	8.63	29	0.38	3,461	52.29
25	नागालैंड	7,136	57.71	147	7.38	36	1.87	7,319	66.96
26	ओडिशा	862,108	3,725.89	56,307	1,209.03	8,834	527.25	927,249	5,462.17
27	पुदुचेरी	13,456	297.79	8,435	116.95	480	33.04	22,371	447.78
28	पंजाब	176,374	5,761.51	26,283	2,135.84	2,605	501.39	205,262	8,398.74
29	राजस्थान	281,115	9,007.74	242,295	3,780.83	3,300	835.25	526,710	13,623.82
30	सिक्किम	7,944	74.33	169	30.76	66	8.11	8,179	113.20
31	तमिलनाडु	619,048	17,507.77	242,292	7,330.67	13,861	2,303.05	875,201	27,141.49
32	तेलंगाना	103,156	6,484.54	14,193	2,307.55	1,490	828.60	118,839	9,620.69
33	त्रिपुरा	59,806	228.53	2,079	43.47	210	3.89	62,095	275.89
34	उत्तर प्रदेश	621,248	11,495.39	160,996	4,272.72	7,616	1,342.73	789,860	17,110.84
35	उत्तराखंड	61,180	1,692.85	8,250	907.34	872	190.19	70,302	2,790.38
36	पश्चिम बंगाल	18,64,074	9,605.34	137,806	3,436.22	6,722	704.15	20,08,602	13,745.71
	कुल योग	90,45,525	160,159.91	22,27,523	63,779.49	102,871	18,829.29	**1,13,75,919**	**242,768.69**

अनुबंध - II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 689, जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार बंद हुए एमएसएमई की कुल संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य**	**कुल**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9
2	आंध्र प्रदेश	113
3	अरुणाचल प्रदेश	-
4	असम	8
5	बिहार	559
6	चंडीगढ़	22
7	छत्तीसगढ	68
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7
9	दिल्ली	210
10	गोवा	8
11	गुजरात	559
12	हरियाणा	167
13	हिमाचल प्रदेश	10
14	जम्मू और कश्मीर	51
15	झारखंड	134
16	कर्नाटक	276
17	केरल	139
18	लद्दाख	1
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	113
21	महाराष्ट्र	1,834
22	मणिपुर	-
23	मेघालय	1
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	1
26	ओडिशा	119
27	पुदुचेरी	8
28	पंजाब	208
29	राजस्थान	323
30	सिक्किम	-
31	तमिलनाडु	593
32	तेलंगाना	130
33	त्रिपुरा	8
34	उत्तर प्रदेश	514
35	उत्तराखंड	33
36	पश्चिम बंगाल	170
	कुलः-	6,397
रिपोर्ट दिनांक :- 26/11/2024 अपराह्न 03:20 बजे		

अनुबंध – III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 689, जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (24.11.2024 तक) उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर सम्मिलित और पंजीकृत एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	वित्त वर्ष 2020-21 में पंजीकृत कुल नए उद्यम	वित्त वर्ष 2021-22 में पंजीकृत कुल नए उद्यम	वित्त वर्ष 2022-23 में पंजीकृत कुल नए उद्यम	वित्त वर्ष 2023-24 में कुल नए उद्यम पंजीकृत	वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत कुल नए उद्यम (24.11.2024 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,271	1,564	2,103	2,176	1,264
2	आंध्र प्रदेश	107,230	114,767	130,924	123,495	67,902
3	अरुणाचल प्रदेश	1,555	1,933	2,544	2,850	1,667
4	असम	60,029	68,532	83,361	92,913	47,150
5	बिहार	139,964	179,709	181,905	175,785	101,980
6	चंडीगढ़	3,901	4,439	4,622	5,015	2,547
7	छत्तीसगढ	45,379	48,992	55,888	54,882	30,857
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,109	2,043	1,916	1,872	873
9	दिल्ली	68,991	74,875	87,078	87,108	46,496
10	गोवा	8,192	5,707	7,104	6,694	3,255
11	गुजरात	197,204	188,417	196,561	187,686	93,442
12	हरियाणा	106,469	114,321	121,972	113,607	56,600
13	हिमाचल प्रदेश	17,517	21,827	26,804	29,963	15,144
14	जम्मू और कश्मीर	42,002	60,175	76,859	89,764	34,785
15	झारखंड	56,183	62,431	70,910	63,236	29,756
16	कर्नाटक	177,861	198,577	210,055	201,132	102,403
17	केरल	68,343	78,172	120,152	129,847	73,199
18	लद्दाख	1,297	1,641	2,089	1,615	835
19	लक्षद्वीप	118	147	122	118	66
20	मध्य प्रदेश	150,247	176,194	211,085	215,852	117,208
21	महाराष्ट्र	591,434	592,373	582,189	550,198	266,700
22	मणिपुर	11,357	11,041	11,841	10,215	4,628
23	मेघालय	2,258	2,903	4,045	4,866	3,366
24	मिजोरम	2,961	3,329	4,486	4,311	1,946
25	नागालैंड	2,598	3,606	5,429	6,584	2,985
26	ओडिशा	97,972	108,975	130,026	163,054	36,734
27	पुदुचेरी	4,761	4,710	4,915	4,903	2,388
28	पंजाब	113,965	110,899	104,101	97,834	49,291
29	राजस्थान	233,801	234,862	267,768	261,398	131,411
30	सिक्किम	995	1,507	2,098	2,390	846
31	तमिलनाडु	322,759	331,951	359,668	342,719	160,611
32	तेलंगाना	122,122	124,327	135,606	151,069	71,038
33	त्रिपुरा	6,668	8,483	11,398	12,185	6,238
34	उत्तर प्रदेश	311,563	348,655	418,901	510,048	219,039
35	उत्तराखंड	31,233	35,918	44,195	47,293	24,172
36	पश्चिम बंगाल	109,162	126,001	153,229	179,462	90,321
	कुल:-	32,21,471	34,54,003	38,33,949	39,34,139	18,99,143

रिपोर्ट दिनांक:- 25/11/2024 अपराह्न 04:20 बजे

*****